रजिस्ट्रेषन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष – 43 ● अंक – 22 ● कानपुर 16 से 30 नवम्बर 2021 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की

मान्यता हेतु पूर्व निर्धारित मापदण्ड यथावत–डा0 इदरीसी

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सरकार द्वारा मान्यता दिलाने हेतु बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने अपनी स्थापना से ही प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे, शासन द्वारा प्रथम दृष्टि यह विचार किया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में होम्योपैथी का समावेश आखिर क्यों है ? जबकि शासन को यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का होम्योपैथी से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तथ्य की पुष्टि के लिये मान्यता के प्रतिवेदन को होम्योपैथी चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 को निस्तारण हेतु शासन द्वारा भेज दिया गया था।

रजिस्ट्रार होम्योपैथी चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 ने शासन के पत्र का संज्ञान लेते हुये अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति को मान्यता प्रदान करने का प्राविधान उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन एक्ट 1951–52, 56,75 में नहीं दिया हुआ है।

इससे एक बात तो साफ स्पष्ट हो जाती है कि रजिस्ट्रार होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 के उपरोक्त कथनानुसार होमियोपैथी का सम्बन्ध दूर–दूर तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से नहीं है।

अब प्रारम्भ होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मान्यता का अगला स्वरुप, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता होमियोपैथी से नहीं बल्कि चिकित्सा विभाग से होनी है, चिकित्सा विभाग से मान्यता का कार्यक्रम आरम्भ किया गया और 15 दिसम्बर, 1982 को चिकित्सा विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर चिकित्सा विभाग द्वारा विचारोपरान्त अन्ततः 15 जनवरी, 1983 को सूचनायें मांगने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया, जो बिन्दु चिकित्सा विभाग द्वारा उस समय निर्धारित किये गये थे वे आज भी यथावत हैं, पाठकों को यहां बताना आवश्यक है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति ने 28 फरवरी, 2017 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिये अनिवार्य एवं एच्छिक मापदण्ड निर्धारित किये हैं वे वही हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी, 1983 को निर्धारित किये थे, *इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विडम्बना ही कहा जायेगा कि 1981 में* **Homoeopathic Medical Colleges (Acquisition & Miscelleneous Provisions) Act** पारित हुआ इसकेअन्तर्गत निजी होमियो पैथिक मेडिकल कालेजों के संचालन पर रोक लगायी जानी थी किन्तु इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर लागू करने का प्रयास किया जाने लगा, जिसे **Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.** के प्रयास से शासन के विधि विभाग ने स्पष्ट कहा कि *इलेक्ट्रो होम्योपैथी होमियोपैथी की परिभाषा से आच्छादित नहीं है इसलिये इस पर रोक नहीं लगायी जा सकती है।*

पाठकों को भलीभांति ज्ञात होगा कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश सरकार का दिनांक 04 जनवरी, 2012 का अद्यतन शासनादेश है।

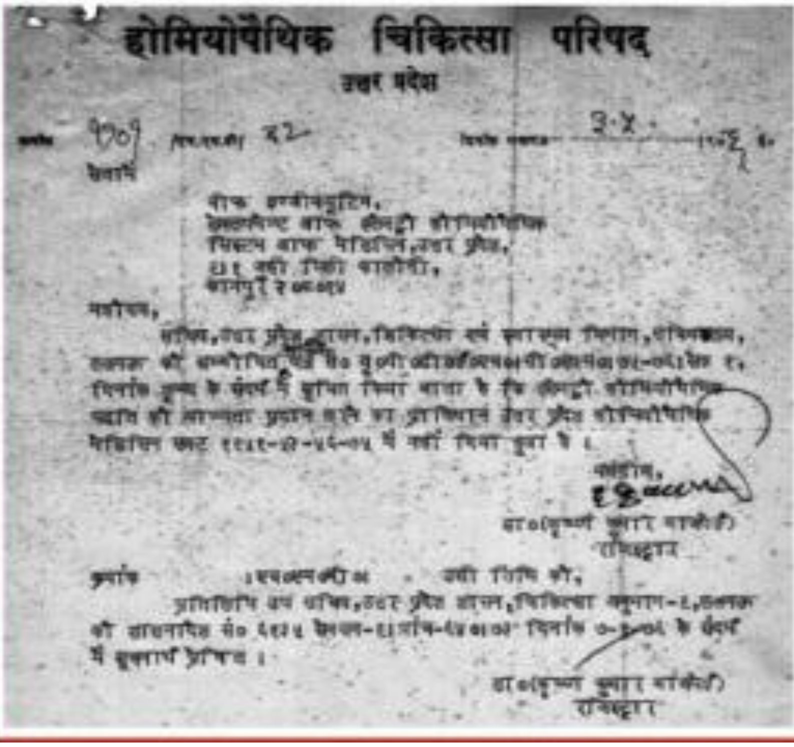
होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद
उत्तर प्रदेश

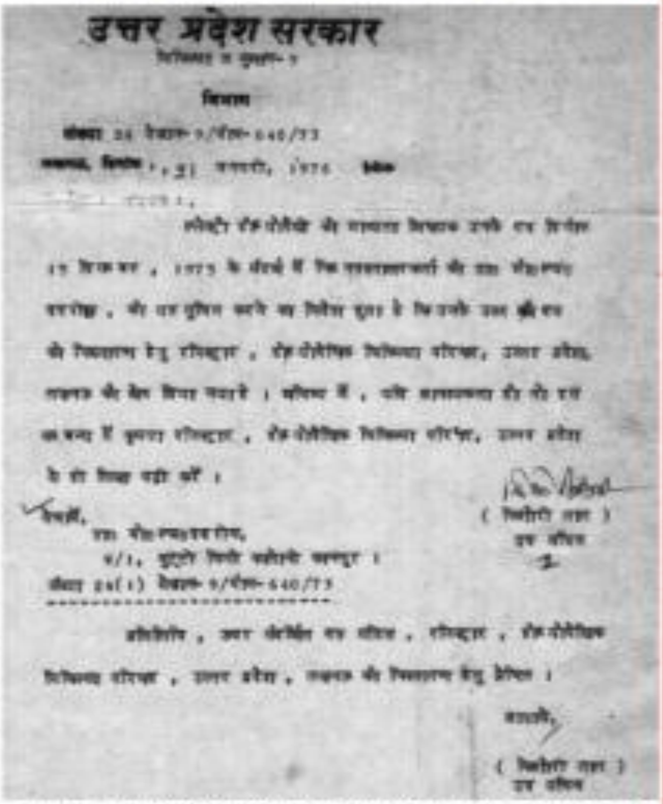
उत्तर प्रदेश सरकार

देर से ही सही परन्तु एक अच्छा कदम

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का क्रम देश की स्वतन्त्रता के साथ भी जुड़ा रहा है, देश स्वतन्त्र होने के बाद प्रथम प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरु के आवाहन पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बाबा–ए– इलेक्ट्रो होम्योपैथी मसीह–उल–हिन्द डा० नन्द लाल सिन्हा ने सरकार के समक्ष दावा प्रस्तुत किया, जिसका विभिन्न कोणों से परीक्षण करने के पश्चात प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार को सन्दर्भित किया गया राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अग्रेतर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया जिसपर कई वर्षों तक कार्य करने के पश्चात जब कोई परिणाम नहीं निकला तब विवश होकर डा० नन्द लाल सिन्हा ने आन्दोलन का मार्ग चुना एवं पूरी सफलता के साथ सरकार को निर्णय लेने के लिये विवश कर दिया, यह वह समय था जब होम्योपैथी को भी मान्यता नहीं मिली थी।

आन्दोलन को देखते हुये कुछ दूसरे राज्यों ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये कार्यक्रम की रुप रेखा तैयार की एवं इस पर कार्य भी प्रारम्भ किये परन्तु डा० नन्द लाल सिन्हा की तरह आन्दोलन की गद्दी नहीं ले सके अपितु डा० नन्द लाल सिन्हा के कार्य के प्रदर्शन की भांति प्रयास अवश्य किये, आन्दोलन में प्रमुख रुप से डा० ब्रज बिहारी प्रसाद सिंह, डा० एस० एम० ए० अजीज़ पत्थर की मस्जिद पटना, डा० रमा शंकर, डा० सच्चिदानन्द झा आदि के नामों को भुलाया नहीं जा सकता है स्मरण रहे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार राज्य ही सबसे सक्रिय रहा है और एक बार पुनः अपनी भूमिका निभाने के लिये अग्रसर है, हालांकि बिहार में डा० एस० हक (अब झारखण्ड में), डा० सी० डी० मिश्रा "प्रभाकर", डा० आर० सी० प्रसाद, डा० उपेन्द्र प्रसाद सिंह एवं डा० सुदामा प्रसाद सिंह जैसे नामचीन व्यक्तियों ने अपनी जिम्मेदारी को समय–समय पर खूब निभाया है। EHPRCI के मानद सचिव डा० सुदामा प्रसाद सिंह ने अन्तर प्रान्तीय रिपोर्ट जो इण्डिया टुडे ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी Special Treatment के नाम से वर्ष 1983 में प्रकाशित की थी में अपनी महती भूमिका निभायी थी जिसमें बिहार प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव तथा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव एवं निदेशक होम्योपैथी ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपने विचार प्रकट किये थे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये एक बार फिर देश व्यापी कार्यक्रम बनाया गया, केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया गया है जिसमें देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से दावे मांगे गये हैं जिसमें उन अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों का उल्लेख किया गया है जो 80 के दशक में भी थे, उन्हीं बिन्दुओं पर पुनः सूचनायें एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान की जा सके, देश के अनेक राज्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा दावे (Proposals) प्रस्तुत किये गये हैं जिसकी जाँच हेतु अन्तर विभागीय समिति द्वारा पाँच बैठकें हो चुकी हैं परीक्षणोपरान्त जिसकी कार्यवाही भी जारी की गयी है।

अन्तर विभागीय समिति का इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है किन्तु अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित की पूर्ति समुचित ढंग से नहीं की जा रही है, इस सम्बंध में सूचनायें एवं साक्ष्य संकलित करने हेतु देश व्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है, सुविज्ञ सूचनानुसार कुछ अभिलेख साक्ष्य स्वरुप समिति को प्रेषित भी किये गये हैं एवं आगे भी उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है, सूचनायें एवं साक्ष्य प्राप्त करने के साथ–साथ इसकी सफलता हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों में जागरुकता भी की जा रही है जिससे वे उनके पास उपलब्ध अभिलेख समिति को प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध करा सकें।

अभी अक्टूबर में ही हैदराबाद में प्रदेश के गृह मंत्री के मुख्य आतिथ्य में एक वृहद आयोजन किया गया था इसी क्रम में अब बिहार प्रान्त की राजधानी पटना के कालीदास रंगालय, गाँधी मैदान में प्रदेश के उप मुख्य मंत्री के आतिथ्य तथा डा० सी० डी० मिश्रा "प्रभाकर" के नेतृत्व में आयोजन प्रस्तावित है जिसमें प्रमुःख रुप से डा० अर्जुन सिंह, डा० एस० आर० पंडित, डा० अशोक कुमार सिंह, डा० सुरेन्द्र कुमार व डा० मनीष प्रभाकर आदि की सक्रीय भूमिका दिख रही है।

आयोजन में इस बात पर भी बल दिया जायेगा कि आयोजन के निश्कर्षों से अन्तर विभागीय समिति को वांछित की पूर्ति सहजता से की जा सके, जिससे भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित Inter Departmental Committee अपनी कार्यवाही को अंतिम रुप दे सके।

M.B.E.H. की सार्थकता आज भी बरकरार

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE, UTTAR PRADESH

8-LAL BAGH, G. P. O. BOX No. : 278, LUCKNOW-226 001 PHONE : 224150
Adm. Office : 127/204 'S' Juhi, Behind Bus Depot, KANPUR-4 PHONE : 273331

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०

8–लाल बाग, जी० पी० ओ० बाक्स नं० : 278, लखनऊ–226001 दूरभाष : 224150
प्रशा० कार्या० : 127/204 'एस' जूही (बस डिपो के पीछे) कानपुर–4 दूरभाष : 273331

Ref. No........../BEHM/ Dated..........
पत्रांक 15424 /बीईएचएम/ 98 दिनांक 26-12-1998

आदेश

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय आदेश दिनांक 18-11-98 के अनुपालन में बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एम०बी०ई०एच० व एम०डी०ई०एच० उपाधियों को तत्काल प्रभाव से डिप्लोमा में परिवर्तित किया जाता है।

(एम०एन० ...)
चेयरमैन

प्रतिलिपि :-
1- बोर्ड के समस्त स्टाफ को सूचनार्थ।
2- समस्त सम्बद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सूचनार्थ।
3- प्रमुख समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ।

इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं को मान्यता प्रदान करने से संबंधित मामलों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में सरकार ने सी डब्ल्यू पी सं. 4015/96 में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 18.11.98 के आदेशों तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 8468/97 पर विचार किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों को वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न 'गैर मान्यता प्राप्त' शाखाओं को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए मौजूदा एवं नए संस्थानों इत्यादि को लाइसेंस प्रदान करने हेतु विधान बनाने पर विचार करने तथा 'प्रतिवादियों' एवं सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किए जा रहे और किसी भी परिषद से सम्बद्ध न हुए ऐसे ही संस्थानों के बारे में मीडिया के जरिए लोगों को सूचित करते हुए पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है।

वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं की प्रभावोत्पादकता/गुणों पर विचार करने तथा सरकार को इसकी सिफारिशें देने एवं माननीय न्यायालय द्वारा सुझाए गए अनुसार विधान बनाने की व्यवहार्यता की भी जांच करने हेतु सरकार ने महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, की अध्यक्षता में 'विशेषज्ञों की स्थायी समिति' गठित की और चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों से सदस्य शामिल किए गए।

समिति की विभिन्न सिफारिशों की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद सरकार ने समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार किया। तदनुसार अनुरोध है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सरकार के इस निर्णय का व्यापक रूप से प्रचार करें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन संस्थाएं चिकित्सा की उस धारा जिसे मान्यता प्रदान करने हेतु संस्तुत नहीं किया गया है, में कोई डिग्री/डिप्लोमा प्रदान न करें और शब्द "डाक्टर" का प्रयोग मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों द्वारा किया जाए।

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(रिसर्च डेस्क)

आदेश

सं. आर. 14015/25/96-उ.नि.एवं.अ. (पार्ट)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25 नवम्बर, 2003

के प्रभावी होने के पश्चात बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के सभी प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम हो गये।

M.B.E.H. पाठ्यक्रम में नये प्रवेश बन्द का दिये गये हैं,जो छात्र पहले से Enrolled हैं उनका कोर्स जारी है।

सार्वजनिक सूचना

चिकित्सकों को अपना स्टेटस जानना हुआ आसान

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से रजिस्टर्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने रजिस्ट्रेशन की वैधता अब आसानी से अपने मोबाइल से स्वंय जान सकते हैं, प्रायः कार्यालय में ऐसे फोन प्रति दिन आते हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन की वैधता कब तक है?

ऐसे लोगों के लिये गज़ट के प्रतिनिधि ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार से सम्पर्क कर यह जाना कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने पंजीयन की वैधता कैसे मोबाइल पर जान सकता है ? उन्होंने बताया कि ....

इसके लिये पहली शर्त है कि आपका मोबाइल एण्डरॉयड होना चाहिये दूसरा कि आपके पास नेट की सुविधा हो, यदि यह दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप न केवल अपने पंजीयन की स्थिति अपितु आप अनेक जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपसे कोसों दूर थीं।

आइये बताते हैं कैसे अपना स्टेटस देखें:–

सबसे पहले गूगल पर जाकर **www.behm.org.in** टाइप करें और सर्च करें, आपको वहां **Welcome to The Board of Electro Homoeopathic Medicine** दिखेगा जब आप इसको **click** कर देंगे तो बोर्ड की साइट खुल जायेगी अब आपको निम्न पट्टिका दिखेगी

ठीक इसके नीचे हलके आसमानी रंग की पट्टी पर सफेद रंग में **List of Practitioners** मिलेगा इसे click करने पर चिकित्सकों की पूरी सूची दिखेगी, अब इस लम्बी सूची में आपको अपना नाम तलाशना बहुत मुशकिल वाला काम है, इसे और भी आसान बना दिया गया है, अब आपको मोबाइल पर ऊपर की ओर दाहिनी ओर तीन बिन्दीयां ⋮ इस प्रकार दिखेंगी इसे click करने पर **Find in page** मिलेगा इसको click करने पर key बोर्ड आयेगा आप रजिस्ट्रेशन नम्बर डाल कर सर्च करें (हमने उदाहरण के लिये 6678 नम्बर डाला देखिये हमें सूची में दाहिनी ओर यह दिखा रहा है यानी 6678 ऊपर से दूसरे न0 पर हरे से है और Valid लिखा है जबकि उसके नीचे कुछ लाल हैं जिसमें Expired लिखा है)

6678		
31-Aug-16	30-Aug-21	Expired
27-Sep-16	26-Sep-26	Valid
27-Sep-16	26-Sep-21	Expired
30-Sep-16	29-Sep-21	Expired
18-Oct-16	17-Oct-21	Expired
18-Oct-16	17-Oct-21	Expired
11-Nov-16	10-Nov-21	Valid
11-Nov-16	10-Nov-21	Valid
29-Nov-16	28-Nov-21	Valid

जहां पर आपका नम्बर होगा वह पेज खुल जायेगा आप बायें ओर देखेंगे कि ऑरेन्ज कलर में आपका रजिस्ट्रेशन न0 दिख रहा है अब आप दायें ओर जायें वहां पर आपका Status है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेष प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला षर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रषा0 कार्यालय : 127/204 ''एस'' जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

C.E.H. एक वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 9335916076
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 842396191
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9836131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	6395361883	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9027342885	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpsr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homoeopathic Clinic & Study centre	KANPUR	9793261649	

LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9873609565	
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Electro Homoeopathic Exam	Registrar B.E.H.M. U.P. Kanpur Campus	KANPUR	0512-2970704	
95	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

Registrar

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर—208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर—208014 से प्रकाशित किया।